ISSN Print: 2664-7699
ISSN Online: 2664-7702
Impact Factor: RJIF 8.00
IJHA 2023; 5(1): 04-05
www.humanitiesjournals.net
Received: 04-02-2023
Accepted: 09-03-2023

शोभा कुमारी
MA Sociology, डुमरी, श्रीरामपुर, अशोक पेपर मील, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
शोभा कुमारी
MA Sociology, डुमरी, श्रीरामपुर, अशोक पेपर मील, दरभंगा, बिहार, भारत

कन्या भ्रूण हत्या : एक सामाजिक अपराध

शोभा कुमारी

DOI: https://doi.org/10.33545/26647699.2023.v5.i1a.35

प्रस्तावना

कन्या भ्रूण हत्या जन्म से पूर्व गर्भ में ही लड़कियों को मार डालने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसा अपराध है, जिसमें परिवार और समाज के लोगों की ही भागीदारी होती है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज में बड़ी तेजी से फैल रही है। यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है, जो न केवल मानवता बल्कि पूरी स्त्री जाति के विरूद्ध एक जघन्य अपराध है। माँ के गर्भ में ही पलते शिशु की गैरकानूनी तरीके से लिंग परीक्षण करवाना और यदि शिशु लड़की है तो उसे अवैध गर्भपात द्वारा ससुराल, पति या स्त्री या माता–पिता के दवावों की वजह से नष्ट कर दिया जाता है।श महिला प्रगति, महिला शक्ति और नारी स्वतंत्रता सभी की अनदेखी करते हुए इस कुकृत्य को समाज में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बेटी की तुलना में बेटे को ज्यादा महत्व दिया जाना हमारे समाज की परम्परा रही है। पुत्र प्राप्ति की कामना आदि काल से ही भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में शिक्षित–अशिक्षित, ग्रामीण–शहरी सभी समाजों में लड़की की तुलना में लड़कों को ज्यादा महत्त्व मिल रहा है। सामाजिक रूढ़ियों, प्रथाओं, मान्यताओं एवं परंपरागत विश्वासों की आड़ में वर्षों से नारी के प्रति समाज में भेदभाव व्याप्त रहा है। देश में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या दर से इस बात का आकलन इस से लगाया जाता है कि समाज में बालिकाओं के साथ कितना भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। महिला उत्थान अध्ययन केन्द्र और सेन्टर फॉर एडवोकेसी एण्ड रिसर्च ने एक संयुक्त प्रकाशन में यह चेतावनी दी है कि ष्यदि महिलाओं की संख्या यूँ ही घटती रही तो महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएँ बढ़ जाएँगी। गर्भ में लिंग की जाँच और फिर कन्या भ्रूण हत्या के कारण स्त्रियों की संख्या दिन–प्रतिदिन कम होती जा रही है।

लेकिन प्रश्न यह है कि वे कौन–सा कारण है, जिसकी वजह से माता–पिता और परिवार बेटियों के जन्म को रोकने के लिए कन्या भ्रूण हत्या जैसी जघन्य अपराध करने को मजबूर है, और अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही रोक देते हैं। गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा, दहेज प्रथा और महिलाओं का समाज में निम्न स्थान होने के कारण लड़कियों को बोझ समझा जाता है। दहेज लेने और देने के कारण बेटियों के प्रति अभिभावकों का नकारात्मक व्यवहार बढ़ता है और परिवार में बेटियों को एक बोझ और जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। यदि बेटी पढ़–लिखकर योग्य बन गयी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो गई है, तब पर भी माता–पिता को बेटी की शादी के लिए दहेज की व्यवस्था करने को मजबूर होना पड़ता है।

पुरुषवादी समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न है। सदियों से हमारे समाज में महिलाओं को दोयम दर्जा दिया गया है, जबकि पुरुष वर्ग को वरीयता, क्योंकि उनका मानना है कि पुत्र न केवल उनके वंश को आगे बढ़ाता है, बल्कि पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत भी है, जबकि लड़कियाँ केवल उपभोक्ता होती है और उसे पराया धन समझा जाता है, जो विवाह के पश्चात् दूसरे घर चली जाएगी। इसलिए बेटियों के अधिकारों का अभाव होता है।

कन्या–भ्रूण हत्या के परिणामस्वरूप न केवल बार–बार गर्भपात से औरतों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि उन्हें संक्रमण और कई गंभीर बीमारियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय और प्रांतीय आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि देश में लिंगानुपात तेजी से घट रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 919 स्त्रियाँ है। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के सभी भागों में लिंगानुपात में गिरावट देखा जा सकता है। 1991 से भारत के 80 प्रतिशत से अधिक जिलों में लिंग अनुपात कम हो रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो देश के समग्र विकास और उन्नति में इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तीव्र गति से घटता स्त्री–पुरुष अनुपात समाज मनोवैज्ञानिकों, जनसंख्या विशेषज्ञों और योजनाकारों के लिए चिंता का विषय बन गया है। यूनिसेफ के अनुसार दस प्रतिशत महिलाएँ विश्व जनसंख्या में से लुप्त हो चुकी हैं और स्त्रियों के इस विलोपन के पीछे मुख्य कारण है कन्या भ्रूण हत्या।'

यदि महिलाओं की संख्या में लगातार कमी होती रही तो सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा और विवाहयोग्य लड़कों के लिए लड़कियों का मिलना असंभव हो जाएगा। फलतः बाल विवाह, बहुविवाह, बलात्कार जैसी सामाजिक अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

कन्या–भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक सोच में परिवर्तन लाया जाए। मनमीत कौर ने "Female Foeticide: A Sociological Perspective" में भी लिखा है कि वर्तमान समय में बेटी को पराया धन और बेटे को कुलदीपक समझने की मानसिकता से ऊपर उठना होगा क्योंकि आज के दौर में बेटियों बेटों से कमतर नहीं है, और इसके लिए उन्हें आत्म–निर्भर बनाना जरूरी है। साथ ही प्रसूती पूर्व जाँच अधिनियम 1994 को सख्ती से लागू किया जाए। राज्य सरकार द्वारा निजी क्लिनिक्स का औचक निरीक्षण समय–समय पर किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही सामाजिक स्तर पर भी एक जागरूकता अभियान चलाया जाए जो लोगों की समझ और सांस्कृतिक रीति– रिवाजों में परिवर्तन लाए, क्योंकि कोई भी कानून तब तक कारगर नहीं हो सकता, जब तक कि उसे जनसमर्थन प्राप्त नहीं हो। वर्तमान समय में बालिकाओं के समुचित विकास के लिए तथा महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही है, जैसे पिछले वर्ष महात्मा गाँधी की 138वीं जयंती के अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – की ओर से बालिका बचाओ योजना (Save the Girl Child) को लाँच किया गया। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या योजना आदि। लेकिन ये सभी तबतक पूर्णरूपेण क्रियान्वित नहीं हो सकती जबतक कि हम और हमारा समाज बेटियों के प्रति अपनी सोच न बदल लें। बेटियों को भी बेटे की तरह अधिकार और सम्मान दे ताकि वह भी आत्मनिर्भर बने तथा अपना, अपने परिवार, समाज और देश का नाम रौशन कर सके। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण का अधिकार हर भारतीय स्त्री का मौलिक अधिकार है।

निष्कर्षत

कहा जा सकता है कि एक ऐसे देश में कन्या भ्रूण हत्या अधिक हो रही है, जहाँ स्त्रियों के विभिन्न देवियों के अवतार के रूप में पूजा की जाती है और लोग कन्याओं के पैर पर अपना सिर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। फिर भी, जान–बूझकर लड़कियों की हत्या हो रही है। हमारे समाज में कुछ इस तरह के दोहरे मानक हैं, जिसे खत्म करना अत्यंत ही आवश्यक है। कहा भी गया है। आज बेटी नहीं बचाओगे तो कल माँ कहाँ से पाओगे।

संदर्भ–सूची

1. स्त्री परम्परा और आधुनिकता राजकिशोर, वाणी प्रकाशन।
2. कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक चिंतन – ललित कुमार
3. Female Foeticide: A Sociological Perspective - मनमीत कौर
4. विकीपीडिया
5. बी. बी. सी. न्यूज
6. द हिन्दू
7. वेब दुनियाँ